

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2016/चैत्र 8, 1938

No. 108] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2016/CHAITRA 8, 1938

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016

मिसिल सं.12—11/2010—के.हो.परि.(पार्ट).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59 वाँ) की धारा 20 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 33 के खण्ड (झ), (ञ) व (ट) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम) विनियम, 1989 में आगे संशोधन करने हेत् निम्न विनियम बनाती है, अर्थात:—

- 1 **उप शीर्षक तथा लागू —**(1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम.) संशोधन विनियम, 2015 है ।
 - (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।
- 2 होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम.) विनियम, 1989 (यहाँ इसके पश्चात् उक्त विनियमों के नाम से संबोधित) के विनियम 3, में :—
 - (i) उप-विनियम (2) में निम्न परन्तुक जोडा जायेगा, अर्थात :-
 - " परन्तु एक अभ्यार्थी विशेषज्ञता के विषय में एम.डी.(होम.) पाठ्यक्रम प्रवेश की तिथि से छः वर्ष के अन्दर पूर्ण करेगा।"
 - (ii) उप-विनियम (3) में, खण्ड (क) तथा (ख) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
 - " क (i) होम्योपैथिक दर्शन
 - (ii) मेटेरिया मेडिका
 - (iii) रेपर्टरी
 - (iv) होम्योपैथी भेषजी
 - (v) औषध साभ्यास

1498 GI/2016 (1)

- (vi) बालरोग
- (vii) मनोरोग
- ख (i) एम.डी.(होम.) होम्योपैथिक दर्शन-
 - क होम्योपैथिक दर्शन तथा आर्गेनन ऑफ मेडिसिन
 - ख अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी
 - ग होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण
 - (ii) एम.डी. (होम.) मेटेरिया मेटिका
 - क मेटेरिया मेडिका
 - ख अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी
 - ग होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण
 - (iii) एम.डी. (होम.) रेपर्टरी
 - क रेपर्टरी
 - ख अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी
 - ग होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण
 - (iv) एम.डी. (होम.) होम्योपैथी भेषजी
 - क होम्योपैथी भेषजी
 - ख अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी
 - ग होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण
 - (v) एम.डी. (होम.) औषध साभ्यास
 - क औषध साभ्यास
 - ख अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी
 - ग होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण
 - (vi) एम.डी. (होम.) बालरोग
 - क बालरोग
 - ख अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी
 - ग होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण
 - (vii) एम.डी. (होम.) मनोरोग
 - क मनोरोग
 - ख अनुसंधान प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी
 - ग होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण

नोट: एम.डी. (होम.) के संदर्भ में क्रम सं. "क" पर उपरोक्त प्रत्येक विशेषज्ञता का विषय प्रमुख विषय होगा तथा अन्य विषय एम.डी.(होम.) भाग–I परीक्षा में सहायक विषय होंगे । एम.डी.(होम.) भाग–II परीक्षा में केवल विशेषज्ञता का प्रमुख विषय ही होगा तथा सहायक विषय नहीं होगा ।

- उक्त विनियमों के विनियम 4 के उप—विनियम (2) में, शब्दों " प्रत्येक विषय में योग्यता के आधार पर एक सीट पर उन अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्ष कार्य किया हो" को हटा दिया जायेगा ।
- 4 उक्त विनियमों के विनियम 5 के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

" 5 क. सामान्य विषय -

1 अनुसंधान प्रविधि

- (क) जैव औषध में अनुसंधान ।
- (ख) शोध अध्ययन की आवश्यकता तथा होम्योपैथी में अनुसंधान की चुनौतियाँ ।
- (ग) अनुसंधान अध्ययन के तरीके ।
- (घ) अनुसंधान अध्ययन हेतु योजना (शोध प्रश्न, शोध परिकल्पना, लक्ष्य तथा उद्देश्य, साहित्य का पुनःरीक्षण, अध्ययन का चित्र, अध्ययन का नमूना, यादृच्छिकीकरण, चकाचौध, रुकावट, चर, निष्कर्ष की कल्पना इत्यादि) ।
- (ड़) डिजाइन तथा नैदानिक परीक्षणों को करना ।
- (च) आंकडे एकत्रित करना तथा आकडों का प्रबन्धन ।
- (छ) विपरीत घटनाओं का आंकलन एवं दर्ज करना।
- (ज) जैव औषध अनुसंधान में नीतिशास्त्रीय मामले ।
- (झ) अनुसंधान अध्ययनों का लेखन एवं प्रकाशन ।

2 जैवसांख्यिकी-

- (क) नैदानिक अनुसंधान में जैवसांख्यिकी की परिभाषा एवं संभावना
- (ख) आंकड़ों के प्रकार एवं आंकड़ें प्रस्तुत करने की प्रविधियाँ
- (ग) विवरणात्मक सांख्यिकी (माध्यम, माध्यिका, विधि, एसडी तथा भेद इत्यादि)
- (घ) सह-संबंध तथा प्रतिक्रमण
- (ड.) प्रतिचयन तथा नमूनों का आकार अनुमानन
- (च) विकृति तथा मर्त्यता के मापक
- (छ) आंकडों का विश्लेषण
- (ज) सांख्यिकिक साफ्टवेयरों का उपयोग
- 3 होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण

होम्योपैथी के सिद्धांतों के उन्नत शिक्षण में विषयों नामतः आर्गेनन ऑफ मेडिसिन एवं होम्योपैथी दर्शन, होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, तथा रेपर्टरी के संदर्भ में (डिग्री स्तर पर सीखा) ज्ञान सम्मिलत होगा।

ब. विशेष विषय :

I होम्योपैथिक दर्शन

- (i) सिद्धांतों तथा साभ्यास की संकल्पना
- (ii) होम्योपैथिक दर्शन -

होम्योपैथी के विद्वानों जैसे कि केन्ट, स्टुआर्ट क्लॉज, एच.ए. राबर्ट, जे.एच. ऐलन, डनहम तथा रिचर्ड ह्युजेज के हेनिमेनियन संकल्पनाओं तथा होम्योपैथी के मूलभूल सिद्धांतों पर विचार तथा व्याख्याओं का अध्ययन आवश्यक है। इसका उद्देश्य विभिन्न दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन कराना भी है ताकि होम्योपैथी के हेनिमानियन संकल्पनाओं में व्यक्तिगतगत योगदान संबंधित महत्व ज्ञात हो सके।

II मेटेरिया मेडिका :

- (i) आधारभूत मेटेरिया मेडिका
 - (1) मेटेरिया मेडिका के स्रोत, औषध प्रमाणन तथा लक्षणों को एकत्रित करना लक्षणों का वर्गीकरण, मेटेरिया मेडिका का निर्माण, मेटेरिया मेडिका के प्रकार ।
 - (2) मेटेरिया मेडिका का विज्ञान तथा दर्शन ।

- (3) मेटेरिया मेडिका का अध्ययन ।
- (4) मेटेरिया मेडिका की संभावनायें एवं सीमायें ।
- (5) औषध के स्रोत, पारिवारिक अथवा सामुहिक अभिलक्षण तथा औषध

संबंध ।

(ii) तुलनात्मक मेटेरिया मेडिका लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन, औषध चित्रण, तथा सभी औषधों का चिकित्साशास्त्र संबंधित संकेत ।

III रेपर्टरी

- (1) रेपर्टरियाँ तथा रेपर्टरीकरण।
- (अ) रोगवृत तथा प्रक्रियाकरण ।
- (आ) रेपर्टरी के स्रोत तथा उद्भव ।
- (इ) विभिन्न प्रकार की रेपर्टरियाँ ।
- (ई) रेपेर्टरियों के गुण व अवगुण ।
- (उ) रेपर्टरी की प्रविधियाँ ।

IV होम्योपैथिक भेषजी

- (i) होम्योपैथिक भेषजी के मूलभूत सिद्धांत ।
- (ii) औषधों तथा माध्यमों का मानकीकरण।
- (iii) होम्योपैाथिक औषध प्रमाणन ।
- (iv) औषध कानून तथा होम्योपैथिक भेषजी से संबंधित विधान।

औषध तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23वाँ), स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 (1988 का 46वाँ), औषध (नियंत्रण) अधिनियम, 1950 (1950 का 25 वाँ), औषध तथा जादूई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21 वाँ), औषधीय तथा शौचालयी साधन (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16वाँ), विष विज्ञान अधिनियम 1919 (1919 का 12वाँ), होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973(1973 का 59 वाँ), तथा भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 6ठा) का आधारभूत ज्ञान।

उपरोक्त केन्द्रीय अधिनियमों तथा संबंधित राज्य अधिनियमों के अन्तगर्त बनाये गये नियम एवं विनियमों का सामान्य अभिप्राय ।

(v) औधोगिक भेषजी

V औषध साभ्यासः

- (i) उष्णकटिबंधीय औषध सहित सामान्य औषध ।
- (ii) रोगों. रोगियों. औषधों का मियाजमेटिक अध्ययन ।
- (iii) निदान प्रक्रियाएँ ।
- (iv) उष्णकटिबंधीय औषध सहित सामान्य औषध में होम्योपैथिक साभ्यास।
- (v) जीवन भक्षक विकारों के प्रबंधन में होम्योपैथी की संभावनायें एवं सीमायें ।

VI बालरोग

- (i) बालरोग, पोषण, व्यवहारिक विकार, बालरोग निरोधी पहलु सहित ।
- (ii) रोगों, रोगियों, औषध का मियाजमेटिक अध्ययन ।
- (iii) निदान प्रक्रियाएँ ।
- (iv) शिश्ररोग में होम्योपैथी साभ्यास ।

VII मनोरोग

- (i) अनुप्रयुक्त मनोरोग ।
- (ii) रोगों, रोगियों, औषधों का मियाजमेटिक अध्ययन ।
- (iii) निदान प्रक्रियाएँ
- (iv) मनोरोग में होम्योपैथी साभ्यास
- 5. उपरोक्त विनियमों के विनियम 6 में, उप–विनियम (2) में, –
- (क) (i) खण्ड (क) में, शब्द "संस्थानों के संबंध में" के लिए शब्द और कोष्ठक " संस्थान अथवा महाविद्यालय (जहाँ पाठ्यक्रम चलाया जाता है) के संबंध में", को प्रति स्थापित किया जाएगा ।
 - (ii) खण्ड (ख) में, शब्दों " पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में" को अन्त में जोड़ा जायेगा ।
 - (iii) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्न खण्डों को जोडा जाएगा, अर्थात :--
 - ''(ग) गाइड (सुपरवाइजर) द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर विषय सार संक्षेप जमा किया गया है''।
 - (घ) एम.डी. (होम.) भाग-1 की परीक्षाओं में भाग लेने हेतु पात्रता होने के लिए कम से कम 80% उपस्थिति होनी चाहिए ।
- (ख) उप विनियम (3) में, शब्दों व अंकों "10,000 शब्दों से कम नहीं" को हटा दिया जायेगा।
- 6. उक्त विनियमों के, विनियम 7 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:— "7. एम.डी. (होम.) भाग—1 परीक्षा —
 - (i) प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक तथा न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं जो निम्न प्रकार से होंगे :--

(अ) एम.डी.(होम.) मेटेरिया मेडिका:-

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक / नैदानिक	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	मौखिक सहित		
(i) मेटेरिया मेडिका	100	50	150	75
(ii) अनुसंधान प्रविधि तथा जैव सांख्यिकी तथा औषध का इतिहास	100		100	50
(iii) होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण	100	50	150	75

(आ) एम.डी.(होम.) होम्योपैथिक दर्शन :--

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक / नैदानिक	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	मौखिक सहित		
(i) होम्योपैथिक दर्शन एवं आर्गेनन ऑफ मेडिसिन	100	50	150	75
(ii) अनुसंधान प्रविधि तथा जैव सांख्यिकी तथा औषध का इतिहास	100		100	50
(iii) होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण	100	50	150	75

(इ) एम.डी.(होम.) रेपर्टरी :--

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक / नैदानिक	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	मौखिक सहित		
(i) रेपर्टरी	100	50	150	75
(ii) अनुसंधान प्रविधि तथा जैव सांख्यिकी तथा औषध का इतिहास	100		100	50
(iii) होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण	100	50	150	75

(ई) एम.डी.(होम.) होम्योपैथिक भेषजी :--

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक / नैदानिक	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	मौखिक सहित		
(i) होम्योपैथी भेषजी	100	50	150	75
(ii) अनुसंधान प्रविधि तथा जैव सांख्यिकी तथा औषध का इतिहास	100		100	50
(iii) होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण	100	50	150	75

(ई) एम.डी.(होम.) औषध साभ्यास :-

विषय	सैद्धांतिक (अधिकतम अंक)	प्रयोगात्मक / नैदानिक मौखिक सहित	कुल अंक	उत्तीर्णांक
(i) औषध साभ्यास	100	50	150	75
(ii) अनुसंधान प्रविधि तथा जैव सांख्यिकी तथा औषध का इतिहास	100		100	50
(iii) होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण	100	50	150	75

(उ) एम.डी.(होम.) बालरोग :--

विषय	सैद्धांतिक (अधिकतम अंक)	प्रयोगात्मक / नैदानिक मौखिक सहित	कुल अंक	उत्तीर्णांक
(i) बालरोग	100	50	150	75
(ii) अनुसंधान प्रविधि तथा जैव सांख्यिकी तथा औषध का इतिहास	100		100	50
(iii) होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण	100	50	150	75

(ऊ) एम.डी.(होम.) मनोरोग :--

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगिक / नैदानिक	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	मौखिक सहित		
(i) मनोरोग	100	50	150	75
(ii) अनुसंघान प्रविधि तथा जैव सांख्यिकी तथा औषध का इतिहास	100		100	50
(iii) होम्योपैथी के सिद्धांतों का उन्नत शिक्षण	100	50	150	75

(ii) प्रत्येक सामान्य विषय के मौखिक / प्रयोगात्मक परीक्षा, कम से कम चार परीक्षकों द्वारा ली जायेगी जिसमें कि एक स्परवाइजर(गाइड) होगा ।

परन्तु यदि सभी चारों परीक्षक आम सहमति से एक छात्र के मूल्यांकन करने में सहमति पर नहीं पहुँचते हैं तो उनमें से तीन द्वारा लिया गया निणर्य अन्तिम होगा।

- (iii) चारों परीक्षक संयुक्त रुप से छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन कर परीक्षाफल की संस्तुति उत्तीर्ण अथवा अन्तीर्ण के रुप में विष्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
- (iv) प्रत्येक सैद्धांतिक परीक्षा तीन घण्टे की अवधि की होगी।
- (v) विश्वविद्यालय एक अनुत्तीर्ण छात्र को छः माह के अन्दर पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करेगा।
- (vi) एक अभ्यार्थी जो कि एम.डी.(होम.) भाग–1 पाठ्यक्रम की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो तो वह उस विषय के सभी भागों में पुनः बैठ सकता है परन्तु केवल एक बार ही उस विषय की परीक्षा में पुनः बैठने का मौका दिया जाएगा जिसमें अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे एम.डी. (होम.) भाग–1 के सभी विषयों की परीक्षा पुनः देनी होगी ।
- 7. उक्त विनियमों के विनियम 8 के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - "8 (1) (अ) प्रत्येक अभ्यार्थी विश्वविद्यालय को भाग—II की परीक्षा आरंभ होने से कम से कम छः माह पूर्व शोध निबंध कम से कम 10000 शब्दों में तैयार कर छः छपी या टंकित प्रतियाँ अनुमोदनार्थ जमा करवायेगा जिसमें कि विषय पर उसके अपने द्वारा विकसित ज्ञान, अनुसंधान एवं योगदान हो।

परन्तु प्रत्येक अभ्यार्थी अपने शोध निबंध का सार पाठयक्रम में प्रवेश के 12 माह के अन्दर अपने गाइड (सुपरवाइजर) के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय को जमा करवायेगा। इसके अस्वीकार होने की स्थिति में अभ्यार्थी को पुनः अपने शोध निबंध का सार किसी भी हालात में I- एम.डी.(होम.) परीक्षा के तीन माह पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय को अपने गाइड (सुपरवाइजर) के माध्यम से जमा करना होगा ।

- (आ) शोध निबंध को विश्वविद्यालय को देने के निर्धारित समय सीमा से कम से कम तीन माह पूर्व गाइड/ सुपरवाइजर को जमा कराना होगा तथा गाइड/ सुपरवाइजर यह प्रमाणित करेगा कि कार्य पूर्व में किसी स्नात्कोत्तर डिग्री प्रदत्त करने हेतु इस्तेमाल नहीं किया गया है तथा कार्य अभ्यार्थी के व्यक्तिगत प्रयासों का अभिलेख है तथा विश्वविद्यालय को गाइड/ सुपरवाइजर प्रतिहस्ताक्षरित कर जमा करवायेगा।
- (इ) परीक्षाओं हेतु नियुक्त परीक्षक शोध निबंध की जॉच कर शोध निबंध को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का संयुक्त प्रतिवेदन देंगे अथवा सुझाव दे सकते हैं जैसा उन्हें आवश्यक लगे ।
- (ई) अभ्यार्थी को परीक्षकों द्वारा शोध निबंध स्वीकार करने के तीन माह के पश्चात् भाग—II की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी ।

परन्तु अभ्यार्थी को जिसका शोध पत्र अस्वीकार किया गया हो, अनुमति दी जा सकेगी कि वह अपना शोध पत्र अस्वीकार होने के छः माह के अन्दर किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं, की अवधि में पूनः जमा करे ।

- (2) प्रत्येक अभ्यार्थी जो कि भाग—II की परीक्षा में प्रवेश ले रहा है, निम्न के साथ विश्वविद्यालय को आवेदन देगा, अर्थात:—
 - (अ) एक प्रमाण पत्र यह इंगित करता हुआ कि उसने भाग-I की परीक्षा उत्तीर्ण की है, एवं
 - (आ) संस्थान / महाविद्यालय के प्रमुख अथवा प्रधानाचार्य (जहाँ शिक्षा दी गई हो) से प्रमाण पत्र कि जिस विषय में अभ्यार्थी परीक्षा में प्रवेश चाहता है उसके अध्ययन पाठ्यक्रम को अभ्यार्थी ने पुरा कर लिया है ।
 - (इ) एम.डी. (होम.) भाग—II की परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्रता के लिए कम से कम 80% उपस्थिति होनी चाहिए ।
 - (3) एम.डी.(होम.)— भाग II परीक्षा अभ्यार्थी द्वारा प्रवेश के समय चुने गये विषेषज्ञता के विषय में होगी, एवं इसमें सम्मिलित होगा:—
 - (i) एम.डी. (होम.) भाग-II परीक्षा —प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक तथा न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं जो निम्न प्रकार से होंगे —

(अ) एम.डी.(होम.) मेटेरिया मेडिका:-

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक / नैदानिक	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	मौखिक सहित		
मेटेरिया मेडिका				
प्रश्न पत्र– I	100	200	400	200
प्रश्न पत्र—II	100			

(आ) एम.डी.(होम.) होम्योपैथिक दर्शन:-

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक / नैदानिक	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	मौखिक सहित		
होम्योपैथिक दर्शन एवं आर्गेनन ऑफ मेडिसिन	100	200	400	200
प्रश्न पत्र— I प्रश्न पत्र—II	100			

(इ) एम.डी.(होम.) रेपर्टरी :--

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक /	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	नैदानिक		
		मौखिक सहित		
रेपर्टरी				
प्रश्न पत्र— I	100	200	400	200
प्रश्न पत्र—II	100			

(ई) एम.डी.(होम.) होम्योपैथी भेषजी :--

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक /	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	नैदानिक		
		मौखिक सहित		
होम्योपैथी भेषजी				
प्रश्न पत्र— I	100	200	400	200
प्रश्न पत्र—II	100			

(ई) एम.डी.(होम.) औषध साभ्यास :--

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक /	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	नैदानिक		
		मौखिक सहित		
औषध साभ्यास				
प्रश्न पत्र— I	100	200	400	200
प्रश्न पत्र—II	100			

(उ) एम.डी.(होम.) बालरोग :--

विषय	सेद्धांतिक	प्रयोगात्मक /	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	नैदानिक		
		मौखिक सहित		
बालरोग				
प्रश्न पत्र— I	100	200	400	200
प्रश्न पत्र—II	100			

(ऊ) एम.डी.(होम.) मनोरोग :--

विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक /	कुल अंक	उत्तीर्णांक
	(अधिकतम अंक)	नैदानिक		
		मौखिक सहित		
मनोरोग				
प्रश्न पत्र– I	100	200	400	200
प्रश्न पत्र—II	100			

टिप्पणी 1 : विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणाम 'उत्तीर्ण' अथवा 'अनुत्तीर्ण' होगा ।

टिप्पणी 2 : छात्र को उत्तीर्ण तभी घोषित किया जाएगा जबिक वह प्रत्येक सैद्धान्तिक तथा मौखिक सिहत प्रयोगात्मक / नैदानिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करे ।

(ii) विशेषज्ञता के विषय में, मौखिक सहित एक प्रयोगात्मक ∕ नैदानिक परीक्षा अभ्यार्थी की कुशाग्र बुद्धि, कार्य क्षमता तथा विशेषज्ञता में साभ्यास की तर्क संगत जानकारी जॉचने हेतु होगी एवं अभ्यार्थी की परीक्षा के लिए विषय में सुपरवाइजर (गाइड) सहित कुल चार परीक्षक होंगें ।

परन्तु चारों परीक्षक संयुक्त रूप से अभ्यार्थी के ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे तथा विश्वविद्यालय को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण परिणाम हेतु संस्तुति करेंगे।

परन्तु यदि चारों परीक्षक आम सहमित से एक छात्र के मूल्यांकन करने में सहमित पर नहीं पहुँचते हैं तो उनमें से तीन द्वारा लिया गया निणर्य अन्तिम होगा।

- (4) विश्वविद्यालय एक अनुत्तीर्ण छात्र को छः माह के अन्दर पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करेगा।
- 8 उक्त विनियमों के विनियम 9 के उप विनियम (2) में, खण्ड (iv) तथा (v) के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
 - ''(iv) एक महाविद्यालय के अस्पताल में चाहे वह मात्र एम.डी. (होम.) पाठ्यक्रम का हो अथवा बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम स्तर के साथ हो, के बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में विगत एक कैलेंडर वर्ष में औसत कम से कम 250 रोगी प्रति दिन हो''।

टिप्पणी :— बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में कैलेडंर वर्ष की रोगी गणना हेतु 300 कार्य दिवसों की गणना होगी चाहे वर्ष साधारण हो अथवा अधिवर्ष, जो जैसा भी हो"।

"(v) होम्योपैथिक शिक्षण (महाविद्यालयिन) अस्पताल में प्रत्येक विशेषज्ञता के नैदानिक विषय के लिए बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन तथा सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक शैय्याओं के अतिरिक्त प्रति छात्र एक शैय्या होगी जहाँ एक कैलेंडर वर्ष में औसतन प्रति दिवस 30% शैय्या रोगियों से भरी होगी ।

टिप्पणी : महाविद्यालय जो केवल स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम चलाते हो शैय्याःछात्र अनुपात 1:1 प्रस्तुत करेंगे ।

- 9 उक्त विनियमों के विनियम 10 के उप—विनियम (2) के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "(2) प्रशिक्षण की व्यवस्थाः मात्र उपदेशात्मक व्याख्यानों पर नहीं अपितु शैय्यागत / प्रायोगिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए । अभ्यार्थी गोष्ठी, सामुहिक चर्चा, नैदानिक बैठकों में भाग लेंगे । अभ्यार्थी को विस्तृत टिप्पणियों के साथ शोध निबंध लिखना होगा जो कि अभ्यार्थी को शोध पत्र लिखने और पुस्तकालय के उपयोग के साथ—साथ अनुसंधान प्रविधियों तथा तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करेगा । अभ्यार्थी को रोगियों के इलाज व प्रबंधन में श्रेणीकृत जिम्मेदारी दी जाएगी । वह स्नातकपूर्व छात्रों अथवा इर्न्टनों के शिक्षण व प्रशिक्षण में भाग लेगा। अभ्यार्थी विशेषज्ञता के विषय की आवश्यकतानुसार गोष्टियों, रोगवृत प्रस्तुतिकरण में तथा जर्नल क्लब की बैठकों में भाग लेंगे, लॉग बुक बनाएंगे प्रायोगिक कार्य करेंगे, होम्योपैथिक उद्योग (जहाँ आवश्यक हो) जाएंगे"।

- 10 उक्त विनियमों के विनियम 11 के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "11 परीक्षा में (i) लिखित प्रश्न पत्र (ii) मौखिक सहित प्रायोगिक / नैदानिक सम्मिलित होगा ।

परन्तु यदि एक अभ्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वह आगामी परीक्षा में बिना पाठ्यक्रम में भाग लिए पुनः सम्मिलित हो सकता है"।

- 11 उक्त विनियमों के विनियम 12 के उप—विनियम (2) के खण्ड (3) के उप—खण्ड (ii) के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - ''(ii) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री अर्हताधारी प्रोफेसर अथवा रीडर अथवा होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री अर्हताधारी लेक्चरर:

परन्तु होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम) एम.डी.(होम.) संशोधन विनियम, 2001 के लागू होने के पाँच वर्षों के अन्दर यदि उपरोक्त मद (i) और (ii) में उल्लेखित अर्हताधारी शिक्षण कर्मचारीवृन्द उपलब्ध नहीं हों तो प्रोफेसर संवर्ग जिनके पास बीस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव (एक होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में दस वर्ष के शिक्षण अनुभव सहित) एवं होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त चार वर्ष की अविध से अधिक की डिग्री/डिप्लोमा हो, से नियुक्त किया जा सकता है।

परन्तु एक विशेषज्ञता का सुपरवाइजर (गाइड) उस विषय का ही सुपरवाइजर (गाइड) रहेगा"।

- 12 उक्त विनियमों के विनियम 13 के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - "13. परीक्षक :--
 - (1) परीक्षकों के लिए मानदण्ड वहीं होगे जोकि सुपरवाइजर (गाइड) अथवा सह–स्परवाइजर (सह–गाइड) के लिए है जैसा जहाँ आवश्यक हो।
 - (2) परीक्षकों में से एक को सुपरवाइजर (गाइड) अथवा सह—सुपरवाइजर (सह—गाइड) के लिए जैसा जहाँ आवश्यक हो, नियुक्त किया जाएगा ।
 - (3) परीक्षकों में कम से कम 50% बाह्य परीक्षक नियुक्त होंगे ।

डॉ. ललित वर्मा, सचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 402]

नोट: मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग—III खण्ड—4 में संख्या 12—18/89—के.हो.प. के द्वारा दिनांक 16.11.1989 को प्रकाशित किया गया तथा तत्पश्चात संशोधन किए गए:—

- 1. 12-3 / 91-के.हो.परि., दिनांक 22 फरवरी, 1993
- 2. 12-3 / 91-के.हो.परि., दिनांक 31 अक्तूबर, 2001
- 3. 12-2 / 2006-के.हो.परि.,(पार्ट) दिनांक 2 मार्च, 2012

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2016

- **F.No.12-11/2010-CCH(Pt).** In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 read with sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989 namely: -
- 1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Amendment Regulations, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Regulations, 1989 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,
 - (i) in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a candidate shall complete the course of M.D.(Hom) in a speciality subject within the duration of six years from the date of his admission.";

- (ii) in sub-regulation (3), for clauses (a) and (b), the following shall be substituted, namely:—
 - "a. (i) Homoeopathic Philosophy
 - (ii) Materia Medica
 - (iii) Repertory
 - (iv) Homoeopathic Pharmacy
 - (v) Practice of Medicine
 - (vi) Paediatrics
 - (vii) Psychiatry;
 - b. (i) M.D.(Hom) Homoeopathic Philosophy—
 - A. Homoeopathic Philosophy and Organon of Medicine
 - B. Research Methodology & Bio-statistics
 - C. Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy
 - (ii) M.D. (Hom.) Materia Medica—
 - A. Materia Medica
 - B. Research Methodology & Bio- statistics
 - C. Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy
 - (iii) M.D. (Hom.) Repertory—
 - A. Repertory
 - B. Research Methodology & Bio-statistics
 - C. Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy
 - (iv) M.D.(Hom.) Homoeopathic Pharmacy—
 - A. Homoeopathic Pharmacy
 - B. Research Methodology & Bio-statistics
 - C. Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy
 - (v) M.D.(Hom.) Practice of Medicine—
 - A. Practice of Medicine
 - B. Research Methodology & Bio-statistics
 - C. Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy
 - (vi) M.D.(Hom.) Paediatrics—
 - A. Paediatrics
 - B. Research Methodology & Bio-statistics
 - C. Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy

- (vii) M.D.(Hom.) Psychiatry—
 - A. Psychiatry
 - B. Research Methodology & Bio-statistics
 - C. Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy

Note: The subject at S.No. "A" in respect of M.D.(Hom) in each speciality subject named above shall be the main subject and other shall be the subsidiary subjects for M.D.(Hom) Part-I Examination. For M.D. (Hom) Part-II examination there shall be only main speciality subject and no subsidiary subject.

- 3. In sub-regulation (2) of regulation 4 of the said regulations, the words, "Preference shall be given to candidates who have worked in rural areas for two years in respects of one seat in each subject as per merit" shall be omitted.
- 4. For regulation 5 of the said regulations, the following shall be substituted, namely:—

" 5. A. General Subjects-

1. Research Methodology

- (A) Research in Biomedicine.
- (B) Need of Research and Research Challenges in Homoeopathy.
- (C) Types of Research Studies.
- (D) Planning of Research Studies (which includes Research Questions, Research Hypothesis, Aims & Objectives, Literature Review, Study Design, Study Sample, Randomization, Blinding, Intervention, Variables, Outcome assessment etc.).
- (E) Design and Conduct of Clinical Trials.
- (F) Data Collection and Data Management.
- (G) Assessing and Reporting Adverse Events.
- (H) Ethical Issues in Biomedical Research.
- (I) Writing & Publishing Research Studies.

2. Biostatistics—

- (A) Definition and scope of Biostatistics in Clinical Research.
- (B) Types of Data and methods of Data presentation.
- (C) Descriptive Statistics (Mean, Median, Mode, SD and Variance etc.).
- (D) Correlation and Regression.
- (E) Sampling techniques and sample size estimation.
- (F) Measures of Morbidity and Mortality.
- (G) Data Analysis.
- (H) Use of Statistical Softwares.
- 3. Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy—

Advanced teaching of fundamental of Homoeopathy shall comprise of integration of knowledge (learnt at degree level course) in respect of subjects namely, Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy, Homoeopathic Materia Medica, and Repertory.

B. SPECIAL SUBJECTS:

I. HOMOEOPATHIC PHILOSOPHY:

(i) Concepts of Principles and Practice;

(ii) Homoeopathic Philosophy.—

A study of the interpretations and views of the stalwarts in Homoeopathy like Kent, Stuart Close, H.A. Robert, J.H. Allen, Dunham and Richard Hughes on Hahnemannian concepts and fundamentals of Homoeopathy is essential. It also aims at making a comparative study of various philosophies with a view to bring out relative merit of the individual contribution to the Hahnemannian concepts of Homoeopathy.

II. MATERIA MEDICA:

- Basic Materia Medica.—
- (1) Source of Materia Medica, Drug proving, and collection of symptoms-classification of symptoms, construction of Materia Medica, types of Materia Medica.
- (2) Science and Philosophy of Materia Medica.
- (3) Study of Materia Medica.
- (4) Scope and limitations of Materia Medica.
- (5) Sources of Drugs, family or group characteristics and drug relationship.
- (ii) Comparative Materia Medica.—

Comparative study of symptoms, drug pictures and therapeutic indications of all drugs.

III. REPERTORY:

- (i) Repertories and Repertorisation:-
 - (a) Case Taking and Processing;
 - (b) Source and origin of the Repertory;
 - (c) Different types of Repertories;
 - (d) Merits and demerits of Repertories;
 - (e) Methods of Repertorisation.

IV. HOMOEOPATHIC PHARMACY:

- (i) Basics of Homoeopathic Pharmacy;
- (ii) Standardization of drugs and vehicles;
- (iii) Homoeopathic Drug proving;
- (iv) Drug Laws and legislation relating to Homoeopathic Pharmacy:-

A basic idea about the Drugs and Cosmetic Act, 1940 (23 of 1940); The Prevention of illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988, (46 of 1988); The Drugs (Control) Act, 1950, (25 of 1950); The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954 (21 of 1954); The Medicinal and Toilet Preparation (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955); The Poisons Act, 1919 (12 of 1919); The Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973); and The Pharmacy Act, 1948, (6 of 1948);

A general idea about the rules regulations made under the aforesaid Central Acts on the subject and concerned State Acts, rules and regulations;

(v) Industrial Pharmacy.

V. PRACTICE OF MEDICINE:

- (i) General Medicine including Tropical Medicine;
- (ii) Miasmatic Study of Diseases, cases, medicines;
- (iii) Diagnostic procedures;
- (iv) Practice of Homoeopathy in General Medicine including Tropical Medicine;

 Scope and limitations of Homoeopathy in the management of disorders related to life threatening diseases.

VI. PAEDIATRICS:

- (i) Diseases of children including nutritional, behavioral disorders, Preventive aspects of Pediatrics;
- (ii) Miasmatic Study of Diseases, cases, medicines;
- (iii) Diagnostic procedures;
- (iv) Practice of Homoeopathy in Pediatrics.

VII. PSYCHIATRY:

- (i) Applied Psychiatry;
- (ii) Miasmatic Study of Diseases, cases, medicines;
- (iii) Diagnostic Procedures;
- (iv) Practice of Homoeopathy in Psychiatry.
- 5. In regulation 6 of the said regulations, in sub-regulation (2), —
- (i) in clause (a), for the words "institution about", the words and brackets "institution or college (where course is imparted) about" shall be substituted;
 - (ii) in clause (b), the words "as an essential part of the course" shall be inserted at the end.
 - (iii) after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:—
 - "(c) a certificate from the Guide (Supervisor) of submission of Synopsis within the time prescribed in these regulations;
 - (d) there shall be minimum of 80% attendance to become eligible for appearing in M.D. (Hom) Part I examinations.".
- (b) in sub-regulation (3), the words and figures "of not less than 10,000 words" shall be omitted.
- 6. For regulation 7, of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—
 - "7. M.D.(Hom) Part-I examination—
 - (i) Maximum marks for each subject and minimum marks required to pass shall be as follows:-

(a) M.D. (Hom.) Materia Medica:-

Subjects	Theory (Maximum marks)	Practical/clinical including Viva-voce	Total marks	Pass marks
(i) Materia Medica	100	50	150	75
(ii) Research Methodology and Biostatistics and History of Medicine	100	-	100	50
(iii) Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy	100	50	150	75

(b) M.D. (Hom.) Homoeopathic Philosophy:-

Subjects	Theory (Maximu m marks)	Practical/clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
(i) Homoeopathic Philosophy and Organon of Medicine	100	50	150	75
(ii) Research Methodology and Biostatistics and History of Medicine	100	-	100	50
(iii) Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy	100	50	150	75

(c) M.D. (Hom.) Repertory:-

Theory (Maximu m marks)	Practical /clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
100 100	50	150 100	75 50
100	50	150	75
	(Maximu m marks) 100	(Maximu m marks) including Viva-Voce 100 50 -	(Maximu m marks) including Viva-Voce marks 100 50 150 100 - 100

(d) M.D. (Hom.) Homoeopathic Pharmacy:-

Subjects.	Theory (Maximu m marks).	Practical/clinical including Viva-Voce.	Total marks.	Pass marks.
(i) Homoeopathic Pharmacy	100	50	150	75
(ii) Research Methodology and Biostatistics and History of Medicine	100	-	100	50
(iii) Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy	100	50	150	75

(e) M.D. (Hom.) Practice of Medicine:-

Subjects	Theory (Maximu m marks)	Practical/ clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
(i) Practice of Medicine	100	50	150	75
(ii) Research Methodology and Biostatistics and History of Medicine	100	-	100	50
(iii) Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy	100	50	150	75

(f) M.D. (Hom.) Paediatrics:-

Subjects	Theory (Maximu m marks)	Practical / clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
(i) Paediatrics	100	50	150	75
(ii) Research Methodology and Biostatistics and History of Medicine	100	-	100	50
(iii) Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy	100	50	150	75

(g) M.D. (Hom.) Psychiatry:-

Subjects	Theory (Maximum marks)	Practical /clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
(i) Psychiatry	100	50	150	75
(ii) Research Methodology and Bio-	100	-	100	50

statistics and History of Medicine				
(iii) Advanced teaching of Fundamentals of Homoeopathy	100	50	150	75

(ii) Viva-Voce/Practical examination in each general subject, to be held by not less than four examiners together out of which one shall be the Supervisor (Guide);

Provided that if all four examiners do not arrive at consensus in assessing a student then a decision taken by three of them shall be final.

- (iii) The four examiners shall jointly assess the knowledge of the candidate for recommending the result to the University as passed or failed.
- (iv) Each theory examination shall be of three hours duration.
- (v) the University shall allow a failed student to reappear in examination within six months.
- (vi) a candidate not passing examination in a subject of Part I-M.D. (Hom.) Course shall reappear in all parts of that subject but only one chance to reappear in that subject of examination shall be provided failing which he has to reappear in examination in all the subjects (in all parts) of M.D. (Hom.) Part-I.".
- 7. For regulation 8 of the said regulations, the following shall be substituted, namely:—
 - "8 (1) (a) Every candidate shall prepare and submit six printed or typed copies of dissertation of not less than 10,000 words embodying his own research and contribution in advancing the knowledge in the subject to the University for approval not later than six months prior to holding of Part II examination.

Provided that each candidate shall submit a synopsis of his dissertation within 12 months of his admission to the course to the University concerned through his guide (supervisor). In case of its rejection the candidate has to resubmit the synopsis to the University concerned through his guide (supervisor) in any case three months clear of I-M.D. (Hom) examination.

- (b) The dissertation shall be submitted to the Guide/Supervisor at least three months before the time fixed for submitting it to the University, and the guide/Supervisor shall certify that the work has not previously formed the basis for award of any post graduate degree and that the work is the record of the candidate's personal efforts and submitted to the University duly countersigned by the Guide/Supervisor.
- (c) The examiners appointed to conduct the examinations shall scrutinize the dissertation and jointly report whether the dissertation be accepted or rejected or may make suggestions, as they deem fit.
- (d) The candidate shall be allowed to appear for the Part II examination three months after the examiners accept the dissertation.

Provided that the candidate, whose dissertation has not been accepted, may be permitted to resubmit the same within a period of six months and not more than one year after rejection.

- (2) Every candidate seeking admission to Part II of the examination shall submit an application to the University with the following, namely:-
 - (a) a certificate showing that he has passed Part I Examination; and
 - (b) a certificate from the Principal or Head of the Institution/College (where course is imparted) about the completion of the course of studies in the subject in which the candidate seeks admission to the examination.
 - (c) There shall be minimum of 80% attendance to become eligible for appearing in M.D.(Hom) Part-II examination.
- (3) Part II M.D. (Hom.) examination shall be held in the subject of specialty opted by the candidate at the time of admission, and shall consist of:-
- "(i) Part-II M.D(Hom.) Examination- Maximum marks of each subject and minimum marks required to pass shall be as under:-

(a) M.D. (Hom.) Materia Medica -

Subject	Theory (Maximum marks)	Practical/ Clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
Materia Medica	100		400	200
Paper I	100	200		
Paper II				

(b) M.D. (Hom.) Homoeopathic Philosophy -

Subject	Theory (Maximum marks)	Practical/ Clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
Homoeopathic Philosophy and Organon of Medicine			400	200
Paper I Paper II	100 100	200		

(c) M.D. (Hom.) Repertory-

Subject	Theory (Maximum marks)	Practical/ Clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
Repertory	marks)		400	200
Paper I	100	200		
Paper II	100			

(d) M.D. (Hom.) Homoeopathic Pharmacy-

Subject.	Theory (Maximum marks).	Practical/ Clinical including Viva-Voce.	Total marks.	Pass marks.
Homoeopathic Pharmacy			400	200
Paper I	100	200		
Paper II	100			

(e)M.D. (Hom.) Practice of Medicine-

Subject	Theory (Maximum marks)	Practical/ Clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
Practice of Medicine			400	200
Paper I	100	200		
Paper II	100			

(f) M.D. (Hom.) Paediatrics-

Subject	Theory (Maximum marks)	Practical/ Clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
Paediatrics			400	200
Paper I	100	200		
Paper II	100			

(g) M.D. (Hom.) Psychiatry-

Subject	Theory (Maximum marks)	Practical/ Clinical including Viva-Voce	Total marks	Pass marks
Psychiatry			400	200
Paper I	100	200		
Paper II	100			

N.B. 1. Result declared by University shall be 'Pass' or 'Fail'.

N.B. 2. The student shall be declared pass if he gets minimum 50% marks each in theory and in Practical/Clinical including viva-voce examination.

(ii) one practical/clinical examination, including Viva-Voce, in the subject of specialty, to test the candidate's acumen and his ability and working knowledge in the practice of the specialty and there shall be four examiners together, including one Supervisor (Guide) in the subject, for examining the candidate.

Provided that all the four examiners shall jointly assess the knowledge of the candidate for recommending the result to the University as passed or failed.

Provided that if all the four examiners do not arrive at consensus in assessing a student then a decision taken by three of them shall be final.

- (4) The University shall give another chance to a failed student to re-appear in examination within six months.".
- 8. In sub-regulation (2) of regulation 9 of the said regulations, for clauses (iv) and (v), the following shall be substituted, namely:—
 - "(iv) outpatient department (OPD) with minimum of 250 patients on an average per day during last one calendar year in the hospital of a college whether running as a standalone M.D. (Hom) course or running along with BHMS course".
 - N.B.: Calendar year for OPD purposes shall be taken as 300 working days out of 365 or 366 days of normal or leap year, as the case may be.
 - (v) one bed shall be earmarked per student for each clinical subject of speciality, in addition to the beds required for Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (BHMS) course in its teaching (collegiate) Homoeopathic Hospital with 30 percent bed occupancy per day on an average in a calendar year.
 - N.B.: Colleges conducting only M.D. (Hom) Courses shall provide 1:1 student-bed ratio.".
- 9. For sub-regulations (2) of regulation 10 of the said regulations, the following shall be substituted, namely:-
 - "(2) Method of Training: The emphasis should be on bed side/practical training and not on didactic lectures alone. The candidates shall take part in seminars, group discussions, clinical meetings. The candidates shall be required to write a dissertation with detailed commentary which shall provide the candidate with necessary background of training in research methods and techniques along with the art of writing research papers and learning and making use of library. The candidate shall be given graded responsibility in the management and treatment of patients. He shall participate in teaching and training of undergraduate students or interns. The candidates shall attend seminars, case presentations and

journal club meetings, maintain Log Books, do the Laboratory works, visit Homoeopathic Industries; (where ever required), keeping in view the needs of each specialty subject.".

- 10. For regulation 11 of the said regulations, the following shall be substituted, namely:—
 - "11. The examination shall consist of (i) written papers; (ii) Practical / clinical including viva voce.

Provided that a candidate who fails in the examinations may appear again in the next examination without undergoing further course of study.".

- 11. For sub-clause (ii) of clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 12, the following shall be substituted, namely:—
 - "(ii) Professor or Reader possessing a recognized Post Graduate Degree qualification in Homoeopathy or a Lecturer holding a recognized Post Graduate Degree in Homoeopathy;

Provided that up to a period of five years from the date of commencement of the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Amendment Regulations, 2001. If Supervisors (Guides) with qualification and experience as laid down in items (i) and (ii) above are not available then teaching staff of Professor cadre holding a recognised Degree/Diploma qualification in Homoeopathy of not less than four year duration with twenty years' professional experience (including ten years' teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic College) may be appointed.

Provided that the Supervisor (Guide) of a specialty shall remain the Supervisor (Guide) for that specialty only.".

- 12. For regulation 13 of the said regulations, the following shall be substituted, namely—
 - "13. Examiners:-
 - (1) the criteria for examiners shall be the same as of the Supervisor (Guide) or Co-Supervisor (Co-Guide) as the case may be;
 - (2) one of the examiners shall be appointed as Supervisor (Guide) or Co-Supervisor (Co-Guide) as the case may be;
 - (3) at least 50% of the examiners shall be external examiners;".

Dr. LALIT VERMA, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./402]

Note:-The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide number 12-18/89-CCH, dated the 16th Nov., 1989 and subsequently amended vide:-

- 1. 12-3/91-CCH(Pt.III), dated the 22nd February, 1993;
- 2. 12-3/91-CCH(Pt.III), dated the 31st October, 2001; and
- 3. 12-2/2006-CCH(Pt.), dated 2nd March, 2012